संं0- 20/2017/417/38-6-17-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक- 27 जुलाई, 2017**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु अनुदान सं0-83 में स्वीकृत एवं डीआरडीए लखनऊ के पीएलए मद में रक्षित धनराशि के आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-595/कार्य0/पीएमएजीवाई/2017, दि0-12.06.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश सं0-8/280/38-6-16-01(पीएमएजीवाई)/2015 टीसी-1, दि0-22.03.2016 द्वारा रू0-42.55 करोड तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश सं0-192/38-6-16-01(पीएमएजीवाई)/2015 टीसी-1, दि0-30 मार्च, 2017 द्वारा रू0-1.55 करोड कुल धनराशि रू0-44.10 करोड(रूपये चौवालिस करोड दस लाख मात्र) स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृत कुल धनराशि रू0-44.10 करोड को शासनादेश सं0-19/2017/266/38-6-17-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1, दि0-18.07.2017 के माध्यम से डी.आर.डी.ए. लखनऊ के नाम खुले पी0एल0ए0 में दि0-30.09.2017 तक रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

2- आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्रांक-594/कार्य0/पीएमएजीवाई/2017, दि0-12.06.2017 द्वारा वित्तीय/प्रशासनिक प्रबन्धन हेतु निर्धारित नीति का शासन के आदेश सं0-416/38-6-17-2(पीएमएजीवाई)/2017, दि0-05.07.2017 द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उक्त वित्तीय/प्रशासनिक प्रबन्धन हेतु नीति निर्धारण के अनुसार शासनादेश सं0-19/2017/266/38-6-17-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1, दि0-18.07.2017 के माध्यम से डी0आर0डी0ए0 लखनऊ के पी0एल0ए0 में दि0-30.09.2017 तक रखी गयी धनराशि रू0-44.10 करोड(रूपये चौवालिस करोड दस लाख मात्र) के आहरण की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पीएमएजीवाई) की मार्ग-निर्देशिका तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुसार चयनित जनपदों के चयनित ग्राम पंचायतों में किया जाएगा।

2- समस्त कार्यों को नियत समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक सम्पादित किया जायेगा। धनराशि जिस हेतु स्वीकृत कर पी0एल0ए0 में संग्रहित करायी गयी थी, उसी प्रयोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु इसका व्यय किया जायेगा साथ ही उक्त् आदेश में दी गयी समस्त शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

3- उक्त धनराशि का आहरण अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त किया जाएगा।

4- आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

3- यद आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 सं0-यू0ओ0 ई-2-564/दस-2017, दि0- 27 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

<u>सं0-20/2017/417(1)/38-6-2017 तददिनांक।</u>

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- अपर आयुक्त(लेखा) ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ/संबंधित जनपद।
7- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभा-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।